अधिसूचना

हैदराबाद, 1 जुलाई, 2010

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगमित अभिकर्ता का अनुज्ञापत्र) (संशोधन) विनियम, 2010

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा. विनियम/4/54/2010.— प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 की 4)की धारा 42 तथा 114 ए को बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 के साथ पठन करते हुए और इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है जो बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (निगमित अभिकर्त्ता का अनुज्ञापत्र) विनियमन 2002 को संशोधित करेगा अर्थात्:-

1. (i) इन विनियमों को बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (निगमित अभिकर्त्ता का अनुज्ञापत्र) (संशोधन) विनियम, 2010 के नाम से पुकारा जायेगा।

(ii) ये अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत होंगें।

2. बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (निगमित अभिकर्त्ता का अनुज्ञापत्र) विनियमन 2002 में,

(i) विनियमन 9 की धारा (2) की सह धारा (ii) की उपधारा (के) के बाद निम्नलिखित को जोडा जायेगा।

(एल) " उल्लिखित व्यक्ति के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यवस्था, बंधन, प्रोहत्साहन, संविदा में प्रविष्ट होना साथ उद्धृत,याचना, सुराग उत्पन्न करना, परामर्श देना,परिचय कराना, भावी पालसी धारक की खोज अथवा सम्पर्क विवरण, बीमा उत्पाद के वितरण के प्रोत्साहन हेतु

(एम) किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को प्रभार का भुगतान की अनुमति देना, किसी भी दलाली, प्रलोभना, अथवा किसी भी नाम से पुकारा जाए

जोकि निम्न के अभिप्राय, परिचय सुराग उत्पन्न करना, उद्धृत अथवा किसी व्यक्ति अथवा सस्था की खोज के लिए हो।

ii) विनियमन 9 की धारा (2) की सह धारा (iv) में शब्द " अन्य कोई बीमा कंपनी " को मिटाया गया है।

iii) विनियमन 11 को निम्न लिखित विनियमन से बदल दिया गया है अर्थात्:-

11 (1) जहाँ किसी निगमित अभिकर्त्ता को अथवा निगमित अभिकर्त्ता कार्यकारी अथवा उल्लिखित व्यक्ति जिन्हें इन विनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र अथवा प्रमाण-पत्र जैसा भी मामला हो, प्रदान किया गया हो

(ए) अनुज्ञापत्र अथवा प्रमाण-पत्र जैसा भी मामला हो, की समयावधि में अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निरर्हता से प्रभावित हो ;

(बी) अनुज्ञापत्र अथवा प्रमाण-पत्र जैसा भी मामला हो, जिस शर्तों के अन्तर्गत जारी किया गया था उनके अनुपालन में असमर्थ रहे ;

(सी) बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) तथा इसके अन्तर्गत समय समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों तथा दिशा-निर्देश,मार्गदर्शन के किसी प्रावधान का उल्लंघन करना अथवा ;

(डी) पालसीधारक अथवा सार्वजनिक हित के विरूद्ध आचरण करता है ;

प्राधिकरण किसी निगमित अभिकर्त्ता को अथवा निगमित कार्यकारी अभिकर्त्ता अथवा उल्लिखित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है जिसको प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर बताना होगा की निगमित अभिकर्त्ता को जारी अनुज्ञापत्र अथवा निगमित अभिकर्त्ता कार्यकारी अथवा उल्लिखित व्यक्ति जैसा भी मामला हो का अनुज्ञापत्र अथवा प्रमाण-पत्र निलंबित अथवा रद्द अथवा अन्य कोई कार्यवाई जिसे प्राधिकरण उचित समझे क्यों न किया जाए।

(2) कार्यवाही के समय, निगमित अभिकर्त्ता को अथवा निगमित अभिकर्त्ता कार्यकारी अथवा उल्लिखित व्यक्ति व्यवसाय से सम्बधित रिकार्ड प्रस्तुत करगें उस तरह से जैसा की आदेश प्राधिकरण द्वारा दिया जायेगा

(3) उत्तर को ध्यान में रखकर, यदि कोई हो, प्राधिकरण एक आदेश जारी कर सकेगी जिसमें निगमित अभिकर्त्ता, निगमित अभिकर्त्ता कार्यकारी अथवा उल्लिखित व्यक्ति को प्रदान अनुज्ञापत्र निलंबित अथवा रद्द कर सकेगी अथवा अन्य कोई आदेश पारित कर सकेगी जिसे प्राधिकरण उचित समझे ।

(4) ऐसा आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर, प्राधिकरण निगमित अभिकर्त्ता को अथवा निगमित अभिकर्त्ता कार्यकारी अथवा उल्लिखित व्यक्ति का अनुज्ञापत्र जब्त कर लिया जायेगा ।

जे. हरि नारायण, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/10/असा.]

पाद टिप्पणी :

(1) बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, (निगमित अभिकर्त्ता का अनुज्ञापत्र) विनियमन 2002, प्रमुख विनियमों का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 16/10/2002 को फा.सं.बी.वि.वि.प्रा. विनियम/ /10 /2002 के द्वारा किया गया।

(2) बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, (निगमित अभिकर्त्ता का अनुज्ञापत्र) विनियमन 2002, बाद मे दिनांक 01/11/2007 को संशोधित किये गये।

NOTIFICATION

Hyderabad, the 1st July, 2010

Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Corporate Agents) (Amendment) Regulations, 2010

F. No. IRDA/Reg/4/54/2010.— In exercise of the powers conferred by sections 42 and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to further amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002, namely:-

1 (i) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Corporate Agents) (Amendment) Regulations, 2010.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002,

(i) In regulation 9, after sub clause (k) of clause (ii) of sub-regulation (2), the following sub clauses shall be added:-

(l) "engage, encourage, enter into a contract with or have any sort of arrangement with any person other than a specified person, to refer, solicit, generate lead, advise, introduce, find or provide contact details of prospective policyholders in furtherance of the distribution of the insurance product.

(m) pay or allow the payment of any fee, commission, incentive by any other name whatsoever for the purpose of sale, introduction, lead generation, referring or finding to any person or entity.

ii) In clause (iv) of sub-regulation (2) of regulation 9, the words "of any other insurance company" shall be omitted:

(iii) Regulation 11 shall be substituted by the following regulation, namely -

11(1) Where a corporate agent or a corporate insurance executive or a specified person which has been granted a license or a certificate, as the case may be, under these regulations,

(a) suffers at any time during the period of the license or certificate, as the case may be, from any of the disqualifications specified in sub-section (4) of section 42 of the Act;

(b) fails to comply with any of the conditions subject to which the license or a certificate, as the case may be, has been granted;

(c) contravenes any of the provisions of the Act, the Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (41 of 1999), the regulations framed thereunder and such other guidelines or directions issued by the Authority from time to time; or;

(d) acts in a manner against the interest of the policyholder or against public interest;

the Authority may issue a notice to the corporate agent or the corporate insurance executive or the specified person requiring him to show cause within 21 days from the date of receipt of the notice, why the license granted to the corporate agent or the certificate to the corporate insurance executive or the specified person, as the case may be, should not be suspended or cancelled or any other action as considered appropriate by the Authority should not be initiated.

(2) During the proceedings, the corporate agent or the corporate insurance executive or the specified person shall produce any record relating to the insurance business in such form and within such time as may be ordered by the Authority.

(3) Upon considering the reply, if any, the Authority may pass an order directing the suspension or cancellation of the license granted to the corporate agent or the certificate of the corporate insurance executive or specified person, as the case may be, or pass any other order as deemed appropriate based on the facts of the case.

(4) Within 15 days from the date of passing of such an order, the Authority shall recover the license granted to the corporate agent or the certificate of the corporate insurance executive or specified person.

J. HARI NARAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/161/10/Exty.]

Footnotes:

(1) The Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on16.10.2002 vide F. No. IRDA/Reg./10/2002

(2) The Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002 were subsequently amended on 01.11.2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.